न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 520–पीबीआर/2012 विरूद्ध आदेश दिनांक 18–01–2012 पारित द्वारा अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्रकरण कमांक 276/2011–12/अपील.

....

श्रीमती गीता कमरिया पुत्री स्व0श्री ग्याप्रसाद कमरिया,
निवासी रवार हाल निवासी ग्राम हुरावली मुरार ग्वालियर

.... आवेदिका

विरूद्ध

1–अशोक कमरिया पुत्र स्व0श्री ग्याप्रसाद कमरिया
2–भूरा कमरिया पुत्र स्व0श्री ग्याप्रसाद कमरिया
3–मुकेश कमरिया पुत्र स्व0श्री ग्याप्रसाद कमरिया
निवासीगण ग्राम रवार तहसील व जिला ग्वालियर

.... अनावेदकगण

....

श्री एस0पी0धाकड़, अभिभाषक–आवेदिका
श्री जगदीश श्रीवास्तव अभिभाषक–अनावेदकगण

....

:: आ दे श ::

(आज दिनांकः 5.1.18 को पारित)

यह निगरानी आवेदिका द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल ''संहिता'' कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 18–01–2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि तहसीलदार द्वारा नामान्तरण पंजी कमांक 3 दिनांक 15–2–85 में पारित आदेश दिनांक 24–5–85 के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष दिनांक 13–1–09 को लगभग 24 वर्ष से भी अधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक

13–12–2011 को आदेश पारित कर अपील अवधि बाह्य होने से निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध आवेदिका द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 18–1–2012 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदिका के बिद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदिका एवं अनावेदकगण आपस में भाई–बहन है और अनावेदकगण द्वारा बिना उसे पक्षकार बनाये अपने पक्ष में नामान्तरण करा लिया गया है, जबकि वह स्वर्गीय भूमिस्वामी ग्याप्रसाद की पुत्री होकर हितबद्ध पक्षकार थी, और प्रश्नाधीन भूमि में उसका स्वत्व था, अतः तहसीलदार द्वारा पारित पूर्णतः अवैधानिक नामान्तरण आदेश के विरूद्ध जानकारी की दिनांक से प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई थी, जिसे अवधि बाह्य मानने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा गम्भीर भूल की गई है । यह भी कहा गया कि उसके पीठ पीछे किये गये नामान्तरण में समय सीमा का बन्धन नहीं रहता है और जानकारी के दिनांक से अपील समय सीमा में मान्य की जाना थी । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि जिस समय अनावेदकगण के पक्ष में नामान्तरण हुआ था, उस समय वह नाबालिग थी और उसके बालिग होने पर अपील प्रस्तुत की गई है, अतः अनुविभागीय अधिकारी को विलम्ब सद्भाविक मानकर क्षमा करते हुये अपील समय सीमा में मान्य करना थी । अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि समय सीमा जैसे तकनीकी बिन्दु के आधार पर प्रश्नाधीन भूमि में से उसका स्वत्व समाप्त नहीं किये जा सकते है, क्योंकि स्वत्व समाप्त करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है। उनके द्वारा निगरानी स्वीकार कर प्रकरण का गुणदोष के आधार पर निराकरण हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यावर्तित करने का अनुरोध किया गया ।

4/ प्रतिउत्तर में अनावेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदिका द्वारा तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध लगभग 24 वर्ष विलम्ब से प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई थी, अतः अपील प्रस्तुत करन में हुये अत्यधिक विलम्ब को क्षमा नहीं करने में

अनुविभागीय अधिकारी द्वारा किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है । यह भी कहा गया कि आवेदिका एवं अनावेदकगण आपस में सगे भाई–बहन है, अतः 24 वर्ष तक नामान्तरणं के आदेश की जानकारी आवेदिका को नहीं होना व्यवहारिक नहीं है, क्योंकि यह मान भी लिया जाये कि आवेदिका को नामान्तरण आदेश की जानकारी नहीं थी, तब भी उसके द्वारा भूमिस्वामी ग्याप्रसाद की मृत्यु उपरांत नामान्तरण की कार्यवाही क्यों नहीं की गई । स्पष्ट है कि उसको इस बात की जानकारी थी कि पिता के स्थान पर भाईयों का नामान्तरण हो गया है और उसके द्वारा बाद की सोच के कारण अपील प्रस्तुत की गई है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदिका द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष जानकारी का स्त्रोत नहीं बतलाया गया है कि उसे आदेश की जानकारी किस प्रकार और कहॉ से हुई । अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि इस प्रकरण में स्वत्व गंभीर प्रश्न निहित हो गया है, जिसका निराकरण करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं होकर व्यवहार न्यायालय को है और आवेदिका व्यवहार न्यायालय से स्वत्व का निराकरण कर सकती है । उनके द्वारा निगरानी खारिज किये जाने का अनुरोध किया गया है।

5/ उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा बिना तहसील न्यायालय का अभिलेख बुलाये उनके समक्ष प्रस्तुत अपील को अवधि बाह्य मानकर निरस्त किया जाना परिलक्षित होता है, जो कि विधिसंगत कार्यवाही नहीं ठहरायी जा सकती है, कारण अवधि विधान की धारा 5 के अन्तर्गत विलम्ब क्षमा हेतु आवेदन पत्र का निराकरण बिना अभिलेख बुलाये किया जाना उचित कार्यवाही नहीं है । अपर आयुक्त द्वारा भी बिना अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख मंगाये द्वितीय अपील का निराकरण किया गया है जो कि उचित कार्यवाही नहीं है । अपर आयुक्त का यह विधिक दायित्व था कि वे समय सीमा के बिन्दु पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश की वैधानिकता पर निर्णय लेने के पूर्व अधिनस्थ न्यायालयों का अभिलेख मंगाकर उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर

देते, परन्तु अपर आयुक्त द्वारा अपने विधिक दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया है, अतः उनके द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 18–01–2012 निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ अपर आयुक्त को प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वह अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख बुलाकर उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये प्रकरण का विधि अनुसार निराकरण करें ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर